

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश दिनांक 17.03.2016 एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 की पालना में डूंगरपुर जिले की उचित मूल्य दुकानों की निरस्त एवं त्यागपत्र 21 उचित मूल्य दुकानों का आवंटन करने के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं :-
योग्यता:-

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिये जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिये।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन-पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य के आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का 3 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना-पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जावेगी कि वह चयनित होने के 08 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा वह ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार-पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानामा आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जो आवेदक आवेदन के समय अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण नहीं करते हैं उन्हें 06 माह में मापदण्ड पूर्ण किये जाने का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि घोषणा-पत्र के अनुसार प्राधिकृत होने पर मापदण्ड पूर्ण नहीं किये जाते हैं, तो प्राधिकार-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तिसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार-पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक ही प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जावेगा।
5. राज्य सरकार द्वारा टीएसपी क्षेत्र हेतु 45 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजाति, 05 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति एवं 50 प्रतिशत स्थान अनारक्षित रखे जाने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे गए हैं। आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
6. एक ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति को एक उचित मूल्य की दुकान के लिए ही प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा पूर्व में उचित मूल्य दुकान के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया है, वे आवेदन हेतु पात्र नहीं होगा।

आवेदन का तरीका :-

1. आवेदन पत्र दिनांक 10.02.2023 से 02.03.2023 तक कार्यालय समय में जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर से प्राप्त किये जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन-पत्र दिनांक 05.03.2023 को सांय 6.00 बजे तक जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर में प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
2. आवेदन पत्र का मूल्य 100/- रुपये निर्धारित किया गया है, जो भारतीय पोस्टल आर्डर (IPO) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :-

1. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
2. आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के 08 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
3. आवेदक द्वारा सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में उसके प्रबंधक/सचिव की शैक्षणिक योग्यता/कम्प्यूटर दक्षता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।
4. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशप्ता का पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा।
6. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रुपये होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति।
7. प्रस्तावित दुकान का नक्शा (ब्लू प्रिन्ट) दो प्रतियों में।
8. निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र।
9. मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
10. जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
11. आधारकार्ड की प्रमाणित प्रति।
12. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।
13. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।
14. पासपोर्ट साईज के 03 नवीनतम फोटो, जिनमें एक आवेदन पत्र पर चस्पा किया जावेगा एवं दो संलग्न किये जायेगे।

चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-

आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित (सामान्य) स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :-

प्रथम वरियता :-

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत/निगमित निकाय।

द्वितीय वरियता :-

1. बेरोजगार— (I) निःशक्तजन
(II) महिलाएं —

(क) शहीद की विधवा (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता

2. भूतपूर्व सैनिक
3. अन्य पात्र बेरोजगार

नोट :- आरक्षित श्रेणी की उचित मूल्य की दुकानों के लिए चयन का आधार द्वितीय वरियता के अनुसार रहेगा। यदि किसी उचित मूल्य दुकान की दुकान के लिए एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। 2 या 2 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नांशुसार है :-

क्र. सं.	तहसील	उचित मूल्य दुकान का नाम	एफपीएस कोड	ग्राम पंचायत	आरक्षण की श्रेणी	
1	झौथरी	बिलपण	27582	बिलपण	S.T.	
2		पोहरी पटेलण	5894	पोहरी पटेलण	S.T.	
3	बिछीवाडा	मेवाडा II	30976	मेवाडा	S.T.	
4	सीमलवाडा	रामसौर जूना	5729	रामसौर जूना	UR	महिला हेतु आरक्षित
5		बांकडा-II	5739	बांकडा	UR	
6		मेदला	30888	मेदला	UR	
7		बेडसा-I	27551	बेडसा	UR	
8		बेडसा-II	5706	बेडसा	S.T.	महिला हेतु आरक्षित
9	सागवाडा	पाडवा गामडा चारणिया	5660	पाडवा गामडा चारणिया	UR	महिला हेतु आरक्षित
10		पादरा	5661	पादरा	UR	
11		सागवाडा शहर	17937	वार्ड नं. 10, 23 नपा सागवाडा	UR	
12		लिम्बोड बडी	5686	लिम्बोड बडी	S.T.	
13		सेलोता रावण पाटीदार	5694	सेलोता	UR	महिला हेतु आरक्षित
14	डूंगरपुर	शहर वार्ड नं. 16, न. प. डूंगरपुर	17791	वार्ड नं. 16 न.प. डूंगरपुर	UR	
15		बोरी	28709	बोरी	UR	
16		पालवडा	28729	पालवडा	UR	
17	दोवडा	फलोज-I शान्तिलाल	25132	फलोज	UR	महिला हेतु आरक्षित
18		कहारी बी	25141	कहारी	S.T.	
19	गलियाकोट	रातडिया	5766	रातडिया	S.T.	
20		बाबा की बार-II	5769	बाबा की बार	S.T.	महिला हेतु आरक्षित
21		गलियाकोट-III	29092	गलियाकोट	S.T.	महिला हेतु आरक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 17 (1) खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा-निर्देश एवं उचित मूल्य दुकानों की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू करने संबंधी पत्र दिनांक 25.11.2020 में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जानी है। दिनांक 17.03.2016 के दिशा-निर्देश, दिनांक 25.11.2020 के पत्र तथा रिक्त उचित मूल्य दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर और विभागीय वेबसाइट www.food.rajasthan.gov.in एवं जिले की वेबसाइट www.dungarpur.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

जिला कलक्टर (रसद),
डूंगरपुर

प्रतिलिपि :-

- 1 श्रीमान् अतिरिक्त खाद्य आयुक्त महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर।
- 2 श्रीमान् सम्भागीय आयुक्त महोदय, उदयपुर सभाग उदयपुर।
- 3 एसीपी महोदय, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
- 4 उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर, सागवाडा, सीमलवाडा, बिछीवाडा, गलियाकोट, झौथरी
- 5 तहसीलदार डूंगरपुर, सागवाडा, सीमलवाडा, बिछीवाडा, गलियाकोट, झौथरी, दोवडा
- 6 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी डूंगरपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 7 प्रवर्तन निरीक्षक समस्त -----
- 8 रक्षित पत्रावली


जिला कलक्टर (रसद),
डूंगरपुर